रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 339] नई दिल्ली, मंगलवार, जून 15, 2010/ज्येष्ठ 25, 1932
No. 339] NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 15, 2010/JYAISTHA 25, 1932

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली 15 जून, 2010

सा.का.नि. 504(अ).—केन्द्रीय मोटर यान (संशोधन) नियम का प्रारूप सा.का.नि. संख्यांक 67(अ), तारीख 10 फरवरी, 2010 द्वारा प्रकाशित किया गया था, जो मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 212 की उप-धारा (1) की अपेक्षानुसार उन सभी व्यक्तियों से, जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से जिसको भारत के राजपत्र की प्रतियां जिसमें उक्त अधिसूचना प्रकाशित की गई थी, जनता को उपलब्ध करा दी गई थी, पैतालीस दिन की अवधि की समाप्ति के पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को 12 फरवरी, 2010 को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और केन्द्रीय सरकार को उक्त प्रारूप नियमों पर जनता से कोई आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं;

अत: अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 88 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय मोटर यान (तीसरा संशोधन) नियम, 2010 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 में,—

(क) नियम 2 के खंड (ध) के स्पष्टीकरण में, ''4 किलोबाइट'' अंक और शब्दों के स्थान पर, ''64 किलो बाइट'' अंक और शब्द रखे जाएंगे;

(ख) उपाबंध 11 में टिप्पण के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

"टिप्पण—पैरा 1 में उल्लिखित स्मार्ट कार्ड की माइक्रोप्रोसेसर चिप चालन अनुज्ञप्ति और परिवहन और गैर परिवहन यानों के लिए यान रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों के लिए आधारित स्मार्ट कार्ड पर इस उपाबध में दिए गए विनिर्देशों के अनुरूप होगी और उसमें इन नियमों के अधीन विनिर्दिष्ट जानकारी अंतर्विष्ट होगी ।''

[फा. सं. आरटी-11036/40/2009-एमवीएल]
सरोज कुमार दास, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम सा.का.नि. 590(अ) तारीख 2 जून, 1989 में प्रकाशित किए गए थे और उनका अंतिम संशोधन सा.का.नि. 443(अ), तारीख 21 मई, 2010 द्वारा किया गया था ।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th June, 2010

G. S. R. 504(E).— Whereas the draft of the Central Motor Vehicles (Amendment) Rules was published *vide* number G.S.R. 67 (E), dated the 10th February, 2010, as required by sub-section (1) of Section 212 of the Motor

Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before expiry of the period of forty five days from the date on which copies of the Gazette of India in which the said notification was published, were made available to the public;

And whereas, copies of the said Gazette notification were made available to the public on the 12th February, 2010;

And Whereas, no objections and suggestions have been received from the public on the said draft rules by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 88 of the said Act, the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Motor Vehicle Rules, 1989, namely :—

1. (1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (Third Amendment) Rules, 2010.

(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989,—

(a) in rule 2, in Explanation to clause (s), for the figure and words "4 Kilo Byte" the figure and words "64 Kilo Byte" shall be substituted;

(b) in Annexure XI, for the Note, the following shall be substituted, namely :—

"**Note** :—The microprocessor chip of Smart Card mentioned at Para I shall conform to the specifications given in this Annexure for Smart Card based Driving Licence and Vehicle Registration documents for transport and non-transport vehicles and shall contain the information specified under these rules.".

[F. No. RT-11036/40/2009-MVL]

SAROJ KUMAR DASH, Jt. Secy.

Foot Note:—The principal rules were published *vide* number G.S.R. 590 (E), dated the 2nd June, 1989 and was last amended *vide* number G.S.R 443 (E), dated the 21st May, 2010.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.